

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक **30 DEC 2016**

क्रमांक/एफ 2-61/सात-2/2016 :: राज्य शासन एतद् द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 03.12.2016 के अनुक्रम में सरगुजा संभाग के समस्त जिलों के जिला स्थापना अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के स्थानांतरित ऐसे कर्मचारी जिन्हें उनके नियंत्रणकर्ता अधिकारियों द्वारा अभी तक भारमुक्त नहीं किया गया है, को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से एकतरफा भारमुक्त किया जाता है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि बिना ज्वाइनिंग टाईम का लाभ लिए तत्काल अपने स्थानांतरित स्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।

2/ जिन कर्मचारियों को न्यायालयीन आदेश के पालन में भारमुक्त नहीं किया गया है, उनके मामलों में यह आदेश प्रभावशील नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(रमेश शर्मा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
नया रायपुर, दिनांक **30 DEC 2016**

पृष्ठांकन क्र./एफ 2-61/सात-2/2016
प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, छ0ग0 रायपुर
 2. निज सचिव, सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
 3. संभाग आयुक्त, सरगुजा संभाग, छ0ग0
 4. कलेक्टर, जिला सरगुजा/बलरामपुर-रामानुजगंज/सूरजपुर/कोरिया/जशपुर छ0ग0
 5. जिला कोषालय अधिकारी, सरगुजा/बलरामपुर-रामानुजगंज/सूरजपुर/कोरिया/जशपुर छ0ग0
 6. राजस्व विभाग की वेबसाइट cg.nic.in/revenue में अपलोड करने हेतु.
 7. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग